

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

दीर्घकालिक कर-बचत निवेश योजना

योजना अवलोकन

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भारत सरकार द्वारा समर्थित एक दीर्घकालिक बचत योजना है। यह आकर्षक ब्याज दरें, कर लाभ और पूर्ण पूंजी सुरक्षा प्रदान करती है। PPF सेवानिवृत्ति योजना और दीर्घकालिक धन निर्माण के लिए एक सुरक्षित, कर-कुशल निवेश विकल्प चाहने वाले व्यक्तियों के लिए आदर्श है।

मुख्य विशेषताएं

विशेषता	विवरण
ब्याज दर	7.1% प्रतिवर्ष (वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि) सरकार द्वारा त्रैमासिक समीक्षा
निवेश राशि	न्यूनतम: Rs. 500 प्रतिवर्ष अधिकतम: Rs. 1.5 लाख प्रतिवर्ष
अवधि	खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष 5 वर्ष के ब्लॉक में वसितारति किया जा सकता है
कर लाभ	Section 80C: Rs. 1.5 लाख तक कटौती अर्जित ब्याज पूरी तरह से कर-मुक्त परपिक्वता राशि कर-मुक्त
निकासी	7 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति 3वें से 6वें वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध
जोखमि प्रोफाइल	शून्य जोखमि - सरकार द्वारा गारंटीकृत पूंजी सुरक्षा सुनिश्चित
चक्रवृद्धि	ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि महीने के 5वें और अंतिम दिनों के बीच सबसे कम शेष राशि पर गणना

पात्रता मानदंड

- आयु: कोई भी व्यक्ति (भारतीय नविसी) PPF खाता खोल सकता है
- खातों की संख्या: प्रति व्यक्ति केवल एक PPF खाता
- HUF: हट्टि अवभाजित परिवार PPF खाता नहीं खोल सकता
- NRI: NRI नया PPF खाता नहीं खोल सकते (मौजूदा खाते बनाए रखे जा सकते हैं)
- नाबालगि: माता-पिता/अभिभावक नाबालगि की ओर से PPF खाता खोल सकते हैं
- दस्तावेज: PAN कार्ड, आधार कार्ड, पता प्रमाण और फोटो आवश्यक

नविश वकिल्प

आप नमिनलखिति तरीकों से PPF में नविश कर सकते हैं:

- एकमुश्त: एक बार में पूरी राशि (Rs. 1.5 लाख तक) नविश करें
- मासिकि कसित: 12 महीनों में नविश फैलाएं (न्यूनतम Rs. 500/वर्ष)
- आवृत्त: प्रतर्विर्ष अधकितम 12 जमा
- भुगतान वधियां: नकद, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, या ऑटो-डेबिट सुवाधि
- समय: उस महीने के लिए ब्याज अर्जति करने के लिए महीने की 5 तारीख से पहले जमा करें

परपिक्वता और वसितार

- परपिक्वता अवधि: खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष
- वसितार: एक बार में 5 वर्ष के लिए वसितारति किया जा सकता है (वसितार पर कोई सीमा नहीं)
- वसितार विकल्प:
 - योगदान के साथ जारी रखें (Rs. 1.5 लाख/वर्ष तक)
 - योगदान के बिना जारी रखें (केवल ब्याज अर्जति होता है)
- परपिक्वता राशि: पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकाली जा सकती है
- आंशिक निकासी: परपिक्वता के बाद, आंशिक राशि निकाली जा सकती है

निकासी नियम

प्रकार	पात्रता	राशि	आवृत्ति
आंशिक निकासी	7 वर्ष बाद	निकासी के वर्ष से पहले 4वें वर्ष के अंत में शेष राशि का 50% तक	प्रतिवर्ष एक बार
ऋण सुविधा	3वें से 6वें वर्ष	ऋण के वर्ष से पहले 2वें वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% तक	प्रतिवर्ष एक बार
समय से पहले बंद	केवल जीवन-घातक बीमारी या मृत्यु के मामले में	ब्याज के साथ पूरी राशि	एक बार

कर लाभ (Section 80C)

- नविश कटौती: प्रतिवर्ष Rs. 1.5 लाख तक के योगदान Section 80C के तहत कटौती के लिए योग्य हैं
- ब्याज कर-मुक्त: PPF पर अर्जति ब्याज आयकर से पूरी तरह से मुक्त है
- परपिक्वता कर-मुक्त: पूरी परपिक्वता राशि (मूलधन + ब्याज) कर-मुक्त है
- EEE स्थिति: PPF Exempt-Exempt-Exempt (EEE) स्थिति का आनंद लेता है - नविश, ब्याज और परपिक्वता सभी कर-मुक्त
- कोई TDS नहीं: ब्याज या परपिक्वता राशि पर स्रोत पर कर कटौती नहीं
- धन कर: PPF शेष राशि धन कर से मुक्त है

परपिक्वता गणना उदाहरण

वार्षिक नविश	अवधि	कुल नविश	परपिक्वता राशि (लगभग)	रटर्न
Rs. 1,00,000	15 वर्ष	Rs. 15,00,000	Rs. 31,00,000	Rs. 16,00,000
Rs. 1,50,000	15 वर्ष	Rs. 22,50,000	Rs. 46,50,000	Rs. 24,00,000
Rs. 50,000	15 वर्ष	Rs. 7,50,000	Rs. 15,50,000	Rs. 8,00,000

नोट: परपिक्वता राशियां वर्तमान ब्याज दर 7.1% प्रतिवर्ष के आधार पर अनुमानित हैं।

खाता खोलने की प्रक्रिया

- चरण 1: शाखा पर जाएं
आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी सन नेशनल बैंक शाखा पर जाएं।
- चरण 2: फॉर्म भरें
PPF खाता खोलने का फॉर्म (फॉर्म A) और नामांकन फॉर्म भरें।
- चरण 3: दस्तावेज जमा करें
KYC दस्तावेज (PAN, आधार, पता प्रमाण) और फोटो जमा करें।
- चरण 4: प्रारंभिक जमा
नकद, चेक, या ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से प्रारंभिक जमा करें (न्यूनतम Rs. 500)।
- चरण 5: खाता सक्रियण
खाता सक्रिय हो जाता है और PPF पासबुक/स्टेटमेंट जारी किया जाता है।
- चरण 6: ऑनलाइन पहुंच
PPF खाते को ऑनलाइन प्रबंधित करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकरण करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

- Q1: क्या मेरे पास कई PPF खाते हो सकते हैं?
नहीं, प्रतिव्यक्ति केवल एक PPF खाता अनुमत है। कई खाते खोलने से जुर्माना और बंद हो सकता है।
- Q2: यदि मैं एक वर्ष का योगदान चूक जाऊं तो क्या होगा?
योगदान चूकने से खाता बंद नहीं होता है, लेकिन आप उस वर्ष का कर लाभ खो देते हैं। खाता ब्याज अर्जित करना जारी रखता है।
- Q3: क्या मैं अपना PPF खाता स्थानांतरित कर सकता हूँ?
हां, PPF खाता एक बैंक/डाकघर से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। फॉर्म H जमा करना होगा।
- Q4: क्या PPF FD से बेहतर है?
PPF कर लाभ प्रदान करता है (80C कटौती + कर-मुक्त ब्याज) और चक्रवृद्धि के कारण उच्च प्रभावी रटर्न, जो दीर्घकालिक कर-बचत के लिए इसे बेहतर बनाता है।
- Q5: क्या मैं PPF के खिलाफ ऋण ले सकता हूँ?
हां, 3वें से 6वें वर्ष तक ऋण सुविधा उपलब्ध है। ऋण राशि ऋण के वर्ष से पहले 2वें वर्ष के अंत में शेष राशि का 25% तक है।
- Q6: ब्याज गणना वधिका क्या है?
ब्याज की गणना प्रत्येक महीने के 5वें और अंतिम दिनि के बीच सबसे कम शेष राशि पर की जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से 31 मार्च को जमा किया जाता है।
- Q7: क्या मैं 15 वर्ष बाद PPF का वसितार कर सकता हूँ?

हां, आप PPF खाते को 5 वर्ष के ब्लॉक में अनश्चिति काल तक वसितारति कर सकते हैं। आप योगदान के साथ या बिना जारी रखना चुन सकते हैं।

Q8: क्या PPF सुरक्षित है?

हां, PPF पूरी तरह से सुरक्षित है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है। पूंजी और रटिर्न गारंटीकृत हैं।

महत्वपूर्ण नोट्स

- ब्याज दर सरकारी अधिसूचना के अनुसार बदल सकती है (त्रैमासिक समीक्षा)।
- खाते को सक्रिय रखने के लिए प्रतिवर्ष न्यूनतम Rs. 500 का एक जमा करना होगा।
- नामांकन अनिवार्य है - खाता खोलने पर नामांकन फॉर्म भरना सुनिश्चित करें।
- PPF खाता परपिक्वता से पहले जीवन-घातक बीमारी के मामले को छोड़कर बंद नहीं किया जा सकता है।
- ब्याज दर पूरे वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) के लिए निश्चित है।
- PPF खाता नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन खोला जा सकता है (यद्योग्य है)।
- सभी लेनदेन (जमा, निकासी) PPF पासबुक/स्टेटमेंट में दर्ज किए जाते हैं।
- लंबी लॉक-इन अवधि और कर लाभों के कारण PPF सेवानिवृत्त योजना के लिए आदर्श है।